[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मामले की औपचारिक पुष्टि करनी चाहिए और अन्य औपचारिक कार्यवाही करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

नागरिकता विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नागरिकता विधेयक, १९५५ पर अग्रेतर चर्चा करेगी। सामान्य चर्चा के लिए आवण्टित किये गये ९ घंटों में से ७ घण्टे १५ मिनट का समय खत्म हो चुका है शेष १ घण्टा और ४५ मिनट बाकी हैं। उसके बाद खण्डशः विचार के लिए ५ घण्टे आवण्टित किये गये हैं।

मैं समझता हूं कि सरदार ए० एस० सहगल के बाद माननीय प्रधान मंत्री बोलना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आशा करता हूं कि सरदार ए० एस० सहगल थोड़ा ही समय लेंगे।

सरदार ए० एस० सहगल : प्रधान मंत्री भाषण दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को बोलने के लिए कह सकता हूं यदि माननीय सदस्य अपना भाषण जारी न करना चाहें।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं भाषण जारी नहीं करना चाहता।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं विधेयक के केवल एक पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिसके बारे में काफी बातें कही गयी हैं और आलोचनायें की गयी हैं। अन्य पहलुओं पर मेरे साथी उप-मंत्री, प्रकाश डालेंगे। यह पहलू इस विधेयक में राष्ट्रमंडल की नागरिकता के सम्बन्ध में कही गयी बातों के सम्बन्ध में हैं। ये बातें खण्ड २(१) (ग), खण्ड ५(१) (ङ), खण्ड ११ और १२ तथा प्रथम अनुसूची में हैं।

मैं यहां पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता के सम्पूर्ण प्रश्न की विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं संक्षेप में उसके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। सबसे पहले, मैं कुछ माननीय, सदस्यों द्वारा विमति टिप्पण में कही गयी उन बातों को लूंगा जिनमें उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध के कारण हमारे ऊपर क्लेशकर, विरुद्ध और अपमानजनक प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बल्कि दो वर्ष के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण दिया है वे ऐसी एक भी कोई बात बतायें, जो क्लेशकर, अपमानजनक या हमारे विरुद्ध रही हो, जिसके कारण हमारे स्वतन्त्र प्रभुत्व सम्पन्न पद या कार्य की स्वतन्त्रता में, चाहे आन्तरिक या विदेशी हो, कोई भी बाधा पड़ी हो। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई और यह भी सच है कि उसी के कारण हम अपने वैदेशिक मामलों में अधिक कार्य-स्वतन्त्रता का व्यवहार कर सके जो शायद अन्यथा सम्भव न होता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): क्या प्रधान मंत्री को पता है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अनुसार हमें ब्रिटिश राज्य का प्रजाजन समझा जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इसका पता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसे पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में कही गयी या न कही गयी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम जो कुछ कहते हैं वही महत्वपूर्ण है।

सभा को और सारे देश को पता है कि अपनी आन्तरिक और वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में हमने इस सभा और सरकार की इच्छा के अनुसार ही काम किया है। राष्ट्-

मंडल के सम्बन्ध में तनिक भी बाधा नहीं डालते। बहुधा हम एक राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य राज्यों की नीतियों और रीतियों से सहमत नहीं हुये हैं। हमने उनसे चर्चा की ह और सहमत नहीं हुये हैं। अभी हाल में ही एक महत्वपूर्ण मामला था जिसके परिणाम बहुत गम्भीर होंगे। बगदाद समझौता उन देशों के लिए एक दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो उसमें सहमत हुये हैं, यह समझौता हमारे दृष्टिकोण से दुखद नहीं है बल्कि शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से दुखद है। ऐसी बातें होती हैं। पर इनसे हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर मैं यह भी नहीं समझता कि राष्ट्रमडल से सम्बन्ध रखने के कारण शान्ति और सहयोग क काम में हमें कोई विशेष सहायता मिली है। मैं इस बात को बढ़ा कर सभा का समय नहीं लेना चाहता पर मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

हम सहयोग के क्षेत्र को अन्य देशों तक बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसा करते भी हैं; इस सम्बन्ध में मैं बर्मा का नाम लूंगा। बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध राष्ड्रमंडल के अनेक देशों की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं। पर, बर्मा राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। हम अन्य देशों के साथ भी अपने सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। हमसे पूछा जाता है ; बर्मा का उल्लेख यहां क्यों नहीं किया जाता ? इसका साधारण सा कारण पारस्परिक सहयोग वाला खण्ड है। यह केवल हमारे व्यवहार का प्रश्न नहीं है; बल्कि उस देश को भी निश्चय करना पड़ता है। बर्मा की विधि के सम्बन्ध में और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हैं। उनके सम्बन्ध में सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं अतः मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम यह सभा इस बात को ध्यान में रखे कि राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध रखने में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जिससे हमारे सम्मान, बड़प्पन और कार्य स्वतन्त्रता में बाधा हुई हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या हम बर्मा के सामने अपनी नागरिकता विधि के सम्बन्ध में पारस्परिक नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नहीं रख सकते ?

श्री कामत : नेपाल से भी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बर्मा सरकार से इस मामले पर बात करने के लिये बिल्कुल तैयार हूं। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रयत्न करने की बात को हम नापसन्द नहीं करेंगे, पर हो सकता है वहां की सरकार इस बात को पसन्द न करे। हम किसी सरकार को नाराज नहीं करना चाहते। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी तरफ से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और बढ़ भी रही है। बर्मा की जनसंख्या हमारे देश की जनसख्या को तुलना में बहुत कम है। वह नहीं चाहते कि उनके देश में एक बहुत बड़ी जनसख्या बाहर से आ जाये। यह उनके विचार करने की बात है, न कि हमारे। बर्मा के साथ इस मामले पर बात करने में हमें वास्तव में बहुत प्रसन्नता होगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : पर क्या दक्षिणी अफ्रीका इस बात को पसन्द करता है कि हम उसे पारस्परिक नागरिकता प्रदान करें। हम दक्षिणी अफ्रीका के लिए नागरिकता के अधिकार खोल रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप केवल इतना कह सकती हैं कि हम किसी भी देश के साथ पारस्परिक नागरिकता के अधिकार का प्रस्ताव कर सकते हैं, बशर्ते कि वह राजी हो।

श्री कामत : क्या राष्ट्रमंडल के बाहर के किसी देश के साथ भी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक दूसरी बात है। यदि हम संसार के सभी देशों को सम्मिलित करेंगे तो हमें अपनी नागरिकता के सम्पूर्ण स्वरूप को बदलना पड़ेगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अतः इस सभा से मेरा पुनः निवेदन है कि वह इस विस्तृत ढंग को स्वीकार कर ले जिससे किसी देश को पारस्परिकता के आधार के अतिरिक्त कोई थोड़ा भी अधिकार अथवा विशेष स्थिति प्राप्त नहीं होती । मेरा सुझाव है कि सभा एक संशोधन पर अनुमोदन दे । विधेयक का खंड २ (ग) एक समर्थकारी खंड है किन्तु मैं उसमें निम्न भाग जोड़ना चाहता हूं :

"परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ के सम्बन्ध में, ऐसी कोई अधिसूचना संसद् के दोनों सदनों के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं निकाली जायगी ।"

इससे सर्वप्रथम यह दिखायी पड़ता है कि हम दक्षिण अफ्रीका की ओर किस विशेष रूप से देखते हैं । दूस ी बात यह है कि हम इस विषय में प्रत्येक कार्यवाही संसद् के दोनों सदनों के समक्ष लाना चाहते हैं और उसे सरकार पर नहीं छोड़ना चाहते । यदि यह परन्तुक जोड़ दिया जायगा, तो इस विषय में हमारी कुछ भावना पूरी हो जायगी ।

एक और विषय है जिसका मैं उल्लेख करूंगा । प्रथम अनुसूची में कुछ नामों का उल्लेख किया गया है, उनका क्रम बदल दिया जाना चाहिये । वहां एक या दो नाम ऐसे हैं जो ठीक नहीं है । यह एक छोटा सा विषय है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस विधेयक में खंड १९ एक निरसक खंड है, जहां हम कहते हैं कि १९१३ से १९४० तक के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियमों का निरसन किया जाता है । हम इन अधिनियमों का निरसन क्यों करते हैं और १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम का कोई निर्देश नहीं करते, जो स्वतः इस अधिनियमों का निरसन करता है । वह हमारी संविहित विधि का अंग का न हो, किन्तु वह हमारे देश में क्रियाशील है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस दशा के अतिरिक्त कि हम उसके अनुरूप कुछ करें वह किस प्रकार क्रियाशील है ? आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि वह क्रियाशील है ? हमें अपनी विधि बनाने में उससे मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है । कोई कार्यवाही करने में हमें उससे मार्ग दर्शन मिला है । किन्तु यह स्पष्ट है कि वह विधि यहां क्रियाशील नहीं है, कदापि नहीं हो सकती ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं केवल समझना चाहता हूं । आप कहते हैं कि हम कुछ ब्रिटिश अधिनियमों का निरसन कर रहे हैं । ऐसा करने के लिये हम अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं क्योंकि यह कहना संभवतः हमारा काम नहीं है कि ये अधिनियम क्रियाशील नहीं है । किन्तु कुछ ब्रिटिश अधिनियमों के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि वे क्रियाशील नहीं होते । एक दूसरा ब्रिटिश अधिनियम है, जो स्वतः उन ब्रिटिश अधिनियमों का निरसन करता है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि हम उनका निरसन कर रहे हैं । अतः हमारा निवेदन यह है कि १९४८ का ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम जो विशेषतया हमारे निरसक खंड में से निकाल दिया गया है, विधि रूप में हमारे देशों में क्रियाशील है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं मान लेता हूं कि मेरे लिये यह एक गहन विषय है । इस का उत्तर किसी वकील को देना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह प्रश्न विधेयक प्रारूप के सम्बन्ध में है और इसलिये यह विधि-विशेषज्ञों के लिये है । अतः इसका उत्तर गृहकार्य मंत्री पर छोड़ देना अधिक अच्छा होगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे बताया गया है कि हमारे संविधान के एक उपबन्ध के अनुसार, १९४७ के पूर्व के अर्थात् यहां

सरकार के बदलने के पूर्व ब्रिटिश अधिनियम लागू होते हैं । यही वास्तविक कारण है । १९४८ का अधिनियम इसलिये नहीं लागू होता कि उसके बाद यहां सरकार बदल गयी थी ।

श्री कामतः क्या मैं प्रधान मंत्री को स्मरण दिला सकता हूं कि प्रथम अनुसूची की सूची में एक ऐसे देश का नाम है जो राष्ट्रमंडल में नहीं है अर्थात् आयरलैंड का गणराज्य ? यदि ऐसा हो सकता है तो राष्ट्रमंडल के बाहर के अन्य देशों को सम्मिलित करने में क्या रुकावट है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह ठीक है कि आयरलैंड राष्ट्रमंडल के बाहर है किन्तु राष्ट्रमंडल उसे भिन्न प्रकार से समझता है । जहां तक हमारे सम्बन्ध है, हम सभी उस विशेष ढंग का स्वागत करते हैं । वे आर्थिक और अन्य सम्बन्ध हैं और हम केवल उनका स्वागत करते हैं ?

श्री गिडवानी (थाना) : मुझे केवल उस खंड का निर्देश करना है जिसमें पाकिस्तान से आये व्यक्तियों के बारे में विवेचन किया गया है । मैं पंजीकरण खंड के विरुद्ध हूं । कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आता है, अपने आप उद्भव द्वारा और न किसी पंजीयकरण द्वारा भारत का नागरिक समझा जाना चाहिये । पंजीकरण में काफी खर्च होता है । जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक दिन कहा था, उसका अर्थ यह होगा कि उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करना होगा और बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी होगा । अतः पंजीकरण खंड उन पर लागू करने के लिये मैं कोई कारण नहीं देखता ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री और माननीय उपमंत्री से, जो दूसरी हैसियत से विस्थापित व्यक्तियों की समस्या का विवेचन करते रहे हैं, अपील करूंगा कि वे इस प्रश्न पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जैसा कि वे अन्य विषयों के बारे में करते आये हैं । यह एक बहुत विलंबकारी प्रक्रिया है और उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी । १९४८ के बाद आने वाले व्यक्तियों को भी उस प्रक्रिया का पालन करना होता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बिलकुल गलत है कि वे यहां आने के बाद यह समझे कि वे भारत के नागरिक नहीं है और अपने को भारतीय कहलाने के पूर्व उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा । वे विभाजन के पूर्व भारतीय थे और भारत आने पर भारतीय रहना चाहते हैं । उनकी राज्य भक्ति के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः मेरी अपील है कि पंजीकरण का खंड हटा दिया जाये और उन्हें उद्भव द्वारा भारतीय नागरिक समझा जावे ।

श्री गाडगील : खण्ड ११ में राष्ट्रमंडल की नागरिकता की ओर निर्देश होने के कारण यों ही बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है । वास्तव में राष्ट्रमंडल की नागरिकता का प्रादुर्भाव स्टेटयूट आफ वेस्ट मेनिस्टर के बाद हुआ विभिन्न अधिराज्य चाहते थे कि ब्रिटिश नागरिकता भी हो । सब से पहले कैनाडा, उसके बाद आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, श्री लंका तथा पाकिस्तान ने अपने अपने देशों में ऐसे नागरिकता अधिनियम बनाये जिनके अनुसार किसी अधिराज्य का नागरिक एक तो अपने देश का नागरिक होगा तथा इस के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल का भी नागरिक होगा; चूंकि उसका देश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है । वास्तव में वही बात इस खण्ड ११ में भी है ।

राष्ट्रमंडल की नागरिकता का अर्थ केवल यह है कि एक अधिराज्य का नागरिक दूसरे देश में विदेशी नहीं समझा जायेगा । राष्ट्रमंडल के प्रत्येक देश न